

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 24/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में,

- (i) क्रम सं. 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 85 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं. 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (v) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में, सशर्त सं 4, 5, 6 और 7 का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं.354/78/2009-टीआरयू (भाग)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 6/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 सा.का.नि. 109 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।